गणपती एजुकेशनल सोसाइटी जिसका पंजीकरण 2003 में कुनिहार, जिला सोलन (हि.प्र.) में हुआ। यह संस्था पिछले 20 वर्षों से दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रही है।

दिव्यांगता के क्षेत्र में यह संस्था 2006 से सर्व शिक्षा अभियान के साथ मिलकर विशेष बच्चों को शिक्षित एवम् प्रशिक्षित कर रही है। कुनिहार में संस्था द्वारा इन बच्चों के लिए डे केयर सेंटर चलाया जा रहा है। सेंटर में बच्चों का व्यवसायिक शिक्षा तथा दक्षता निखारने के लिए प्रशिक्षित किया जा है। यह बच्चे ग्रामीण परिवेश से सम्बन्ध रखते है तथा उनकी सुविधा के अनुसार उन्हें कैंडल मेकींग, टैडी बियर में कींग तथा थम पैंटींग तथा आरगेनिक फार्मींग सिखाई जाती है। जो बच्चे डे केयर सेंटर में नहीं आ सकते उन्हें विशेष शिक्षक घर–घर जाकर शिक्षा प्रदान कर रहें हैं। तथा बच्चों को अभिभावकों को घर के काम में मदद करने तथा ग्रामीण परिवेश से सम्बन्धित उत्पादों को तैयार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ताकि ये बच्चें अपनी आजीविका का निर्वाह कर सकें। अब तक संस्था के द्वारा लगभग 50 बच्चों को आजीविका के लिए प्रशिक्षत कर दिया है। तथा वे अपना कार्य स्वतन्त्र रूप से कर रहे हैं। अब तक संस्था के साथ विभिन्न सेवाओं के लिए लगभग 200 बच्चें एवं लोग जुड़ चुके हैं। जिनके लिए संस्था कृत संकल्प हैं।

प्रस्तावना

राष्ट्रीय न्यास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है. जिसकी स्थापना स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु अधिनियम (1999 के अधिनियम 44) के तहत की गई है।

राष्ट्रीय न्यास की परिकल्पना

राष्ट्रीय न्यास की परिकल्पना का उद्देश्य विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के लिए एक समावेशी समाज का निर्माण करना है. जिसमें वे गरिमा, समान अधिकार और अवसरों के साथ स्वतंत्र जीवन–यापन के लिए सशक्त और सक्षम हो सकें।

राष्ट्रीय न्यास की परिकल्पना सभी देशवासियों के लिए एक बदलते भारत के स्वरूप को प्रदर्शित करती है तथा मानव अधिकार यानी यूएनसीआरपीडी के दृष्टिकोण पर आधारित है। यह परिकल्पना राष्ट्रीय न्यास को विकलांगता के क्षेत्र में एक अग्रणी के रूप में स्थापित करती है। विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों से संबंधित कानूनों को बदलते समय ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। स्थानीय तथा क्षेत्रीय पजीकृत संगठनों और स्थानीय स्तर की समितियों के माध्यम से कार्य करते समय राष्ट्रीय न्यास को अपना उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए तथा देश के सभी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

राष्ट्रीय न्यास का लक्ष्य

राष्ट्रीय न्यास निःशक्तताग्रस्ति व्यक्तियों एवं उनके परिवारों की क्षमता के विकास हेतु अवसरों उपलब्ध कराने का कार्य करता है ताकि उनके अधिकारों की पूर्ति हो तथा एक समावेषी समाज एवं समर्थयुक्त वातावरण के सृजन को प्रोत्साहन एवं सहयोग प्रदान किया जा सके। राष्ट्रीय न्यास का लक्ष्य या मौलिक उद्देश्य निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों को अन्य मंत्रालयों के सहगोग तथा व्यापक समर्थन प्रणाली के माध्यम से अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक समर्थयुक्त वातावरण का सृजन करना है, जिससे वे समावेशी समाज के विकास में सहयोगी बन सके।

राष्ट्रीय न्यास का लक्ष्य उद्देश्य

राष्ट्रीय न्यास के विशेष उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

समावेषी समाज का निर्माण करना जिसमें मानवीय विविधताओं का मान होता हो तथा निःशक्ताप्रस्ति व्यक्तियों को स्वतंत्रतापूर्वक

सम्मान के साथ अधिकारों एवं अवसरों में पूर्ण सहभागिता हेतु अधिकार प्राप्त कराना।

केन्द्र को रोजगारपरक गतिविधियों, रोजगार.पूर्व गतिविधियों तथा आगे के प्रशिक्षण के लिए सहायता का प्रावधान करना चाहिए।

5. निरामय (स्वास्थ्य बीमा योजना)

इस योजना का उद्देश्य स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों को किफायती कीमत पर स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत ओपीडी चार्ट में निर्दिष्ट दवाओं, पैथोलॉजी, नैदानिक परीक्षण सहित गैर.विकलांगों के लिए नियमित चिकित्सा जांच दंत निवारक चिकित्साए उत्तेजनात्मक विकलांगता को रोकने के लिए सर्जरी, गैर सर्जिकल अस्पताल में भर्ती मौजूदा विकलांगता के लिए सुधारात्मक सर्जरी, जन्मजात विकलांगता, वर्तमान में जारी चिकित्साए विकलांगता और विकलांगता संबंधी जटिलताओं के प्रभाव को कम करने के लिए वैकल्पिक चिकित्सा और परिवहन लागत के लिए सभी नामांकित लाभार्थिगों को एक लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा।

6. सहयोगी (देखभाल कर्ता प्रशिक्षण योजना)

इस योजना का लक्ष्य प्रशिक्षण प्रदान करने और सेवा प्रदाताओं की कुशल जन.शक्ति निर्मित करने के लिए सेवाप्रदाता कक्ष स्थापित करना है, ताकि विकलांगता युक्त व्यक्तियों को और उनके जरूरतमंद परिवारों को पर्याप्त एवं पोषणकारक देखभाल प्रदान की जा सके। साथ ही, इसका उद्देश्य माता.पिता को ऐसा अवसर प्रदान करना भी है कि यदि वे चाहें तो उन्हें देखभाल करने का प्रशिक्षण दिया जा सके। इस योजना में दो स्तर के पाठयक्रमों प्राथमिक और उन्नत के जरिए प्रशिक्षण

8. प्रेरणा (विपणन सहयोग)

प्रेरणा राष्ट्रीय न्यास की विपणन योजना है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत समाहित विकलांग व्यक्तियों द्वारा निर्मित उत्पादों व सेवाओं की बिक्री के लिए व्यवहार्य एवं व्यापक माध्यमों का विकास करना है। इस योजना का लक्ष्य विकलांग जनों द्वारा निर्मित उत्पादों की बेचने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों जैसे प्रदर्शनियों मेलों आदि में प्रतिभागिता हेतु धन राशि प्रदान करना है। इस पोजना के अंतर्गत विकलांग जनों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री राशि के आधार पर पंजीकृत संस्थान को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय न्यारा द्वारा पंजीकृत संस्था को धन राशि प्रदान की जाएगी, जिससे में राष्ट्रीय क्षेत्रीय राज्य और जिता स्तर के मेलों और प्रदर्शनियों आदि में प्रतिभागिता कर सकें और विकलांगजनों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों व सेवाओं का विपणन व विक्रय कर सकें। किन्तु इन कार्य केन्द्रों में कार्य करने वाले विकलांगजनों में कम से कम 51% कर्मचारी ऐसे होने चाहिए जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत समाहित हो।

10 बढ़ते कदम (जागरूकता एवं समुदाय से मेलजोल)

यह योजना राष्ट्रीय न्यास की पंजीकृत संस्था को ऐसी गतिविधियों का संचालन करने में मदद करेगी, जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अतर्गत आने वाली विकलांगताओं के बारे में जागरूकता फैलाती है। इसके अलावा बढ़ते कदम योजना का लक्ष्य विकलांगजनों के प्रति समुदाय को जागरूक करना, उनमें चेतना लाना तथा उन्हें समाज में एकीकृत करके समाज की मुख्य धारा में लाना है। राष्ट्रीय न्यास प्रत्येक पंजीकृत संस्था के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 4 कार्यक्रम प्रायोजित करेगा। प्रत्येक पंजीकृत संस्था को हर वर्ष (समुदाय शैक्षिक संस्थानों अथवा चिकित्सा संस्थानों के लिए कम से कम । कार्यक्रम अवश्य आयोजित करना चाहिए।

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 13 (1) के अनुसार बोर्ड समय–समय पर इस तरह के क्षेत्रों को निर्दिष्ट करने के लिए एक स्थानीप स्तरीय नमिति का गठन करेगा।

धारा 13 (2) के अनुसार एक स्थानीय स्तरीय समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे

1. संघ या राज्य की प्रशासनिक सेवा का एक अधिकारी जिसका पद जिला मजिस्ट्रेट या एक जिला आयुक्त से नीचे नहीं होना चाहिए
2. A पंजीकृत संगठन का एक प्रतिनिधि, और
3. A विकलांगता अधिनियम,1995(1996 की 1) की धारा 2 कि परिभाषा (समान अवसर, अधिकार एवं पूर्ण भागीदारी के संरक्षण) के अनुसार एक दिव्यांगजन

Source- स्त्रोत–राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 की धारा 13(1)और (2)।

सहयोजित अतिरिक्त सदस्य

स्थानीय स्तरीय समिति का कामकाज में उनकी सहायता करने के लिए वैधानिक सदस्यों के अलावा सहयोजित सदस्य के रूप में निम्नलिखित को शामिल करने के लिए सलाह दी गई है।

निःशक्तताग्रस्ति व्यक्तियों के लिए समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और समाज में पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करना।
निःशक्तताग्रस्ति व्यक्तियों की आवश्यकताओं पर आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकृत संगठनों को समर्थन प्रदान करना,और
निःशक्तताग्रस्ति व्यक्तियों के अभिभावकों की नियुक्ति तथा न्यासी प्रक्रिया को विकसित करना।

एन टी के विकलांगता

एन टी के अंतर्गत विकलांगता
राष्ट्रीय न्यास निम्नलिखित चार प्रकार की विकलांगता में से किसी के भी अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु कार्य करता
स्वपरायणता (Autism)
प्रमस्तिष्क घात (Cerebral Palsy)
मानसिक मंदता (Mental Retarda Tion)
बहु– निःशक्तता (MD)

एक नज़र में (National Trust) की योजनाएं

1. दिशा (बाल्य–काल हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी योजना)

यह राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में समाहित चार प्रकार की विकलांगताओं से युक्त 0.10 वर्ष के आयु.समूह वाले बच्चों के लिए बाल्य.कालिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी की योजना है। इस योजना का लक्ष्य दिशा केन्द्र स्थापित करना हैए ताकि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत समाहित 0.10 वर्ष के आयु समूह वाले व्यक्तियों के लिए बाल्य.काल में ही चिकित्सा प्रशिक्षण और उनके परिवार के सदस्यों के लिए सहायता प्रदायगी के जरिए शीघ्र हस्तक्षेप उपलब्ध कराया जा सके। पंजीकृत संस्था द्वारा दिन में कम से कम 4 घंटे ;प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच, विकलांगजनों की देखभाल सुविधा प्रदान करनी चाहिएए जिसमें आयु. विशिष्ट गतिविधियों शामिल हों। केन्द्र में विकलांगों के लिए विशेष शिक्षक अथवा शीघ्र हस्तक्षेप चिकित्सक, फीजियोथेरेपिस्ट अथवा व्यावसायिक चिकित्सक और परामर्शदाता तथा सेवाप्रदाता और आया की व्यवस्था होनी चाहिए।

2. विकास (दिन मे देखभाल)

यह दिन में देख.भाल की योजना है, जिसका उद्देश्य दस वर्ष या उससे अधिक आयु के विकलांगजनों में अंतर.वैयक्तिक एवं रोजगारपरक कौशल की वृद्धि के लिए अवसरों का विस्तार करना है। विकलांग व्यक्ति के विकास केन्द्र में रहने के दौरान केन्द्र द्वारा उस व्यक्ति की देख.भाल में सहायता भी प्रदान की जाएगी। साथ ही केन्द्र राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत समाहित विकलांग व्यक्ति के परिवार के सदस्यों की सहायता करने में भी मदद करता है, ताकि दिन में अपने अन्य दायित्वों को पूरा करने के लिए उनको कुछ समय मिल सके। पंजीकृत संस्था द्वारा विकलांगों को दिन में कम से कम 6 घंटे (पूर्वाहन) 8 से अपराह्न 6 बजे के बीच, देख.भाल की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें आयु.विशिष्ट गतिविधियाँ भी शामिल हों। केन्द्र महीने के कम से कम 21 दिन खुलना चाहिए।

3. समर्थ (राहतकारी देखभाल)

समर्थ योजना का उद्देश्य अनाथों अथवा लावारिसों, संकटग्रस्त परिवारों और बीपीएल तथा एलआईजी परिवारों से आनेवाले विकलांगजनों और ऐसे निराश्रितों को राहतकारी देख.भाल उपलब्ध कराना है, जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत शामिल चार विकलांगताओं में से कम से कम एक से ग्रस्त हैं। इसके अलावा समर्थ योजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों के लिए ऐसे अवसर पैदा करना है जिससे ने अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए समय पा सकें। इस योजना का उद्देश्य ऐसे समर्थ केन्द्रों की स्थापना करना है, जिन केन्द्रों में सभी आयु समूहों के लिए ऐसी सामूहिक गृह सेवा प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें वे देख माल की पर्याप्त एवं उत्तम सेवाओं से युक्त स्वीकार्य जीवन स्तर की सुविधाओं के साथ. साथ प्रोफेशनल डॉक्टर की बुनियादी सुविधा भी उपलब्ध हो।

4.घरौंदा (वयस्कों के लिए समूहिक गृह)

घरोंदा योजना का उद्देश्य स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों को आजीवन आवास की सुविधा के साथ देख.भाल की पर्याप्त एवं उत्तम सेवाओं से युक्त स्वीकार्य जीवन. स्तर की सुविधाओं के साथ.साथ प्रोफेशनल डॉक्टर की बुनियादी सुविधा भी उपलब्ध कराना है। घरोंदा

1. जिला सामाजिक न्याय अधिकारी / जिला कल्याण अधिकारी / जिला पुनर्वास अधिकारी,
2. सिविल शल्य –चिकित्सक या मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
3. जिला अस्पताल के मनोचिकित्सक
4. जिले के प्रतिष्ठित वकील

इसके अलावा स्थानीय स्तरीय समिति मामले में न्याय प्रदान करने और प्रभावी कार्यकरण के लिए किसी भी अन्य सरकारी अधिकारी या विकलांगता विशेषज्ञों को शामिल कर सकती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कानूनी अभिभावकता और स्थानीय स्तरीय समिति (एलएलसी) पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1 क्या यह अनिवार्य और बिल्कुल आवश्यक है कि प्रत्येक विकलांग व्यक्ति के लिए एक कानूनी अभिभावक नियुक्त किया जाय ?

2 क्या स्थानीय स्तरीय समिति के पास भी न्यायलय की तरह कोई निहित शक्तियां होती हैं?

3 क्या समाज विकलांग व्यक्ति के अभिभावक के लिए आवेदन कर सकते हैं?

4 क्या कोई नाबालिग अभिभावक के रूप में कार्य कर सकता है?

5 क्या एक वार्ड जो विदेश में रहता है, उसके अभिभावकता के लिए आवेदन कर सकते है?

6 एक वसीयत नामा के तहत नियुक्त एक वसीयत अविभावक की क्या स्थिति है?

7 क्या विकलांगता से ग्रसित एक व्यक्ति की देखभाल के लिए और उसकी संपत्ति की देखभाल के लिए अलग–अलग अभिभावक नियुक्त किये जा सकते है?

8 क्या एक विदेशी अभिभावक के लिए आवेदन कर सकता है?

9. क्या होगा यदि अभिभावक को एक अदालत ने दोषी ठहराया और जेल भेज दिया या गंभीर अक्षमता हो गई जिससे वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकता या वार्ड की प्रतिकूल हितों को विकसित करता है या स्थायी रूप से जिला छोड़ देता है या दिवालिया हो जाता है

कानूनी अभिभावकता के संबंध में स्थानीय स्तरीय समिति के कार्यक्षेत्र पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. एक स्थानीय स्तर समिति के क्षेत्राधिकार क्या हैं?
2. क्या स्थानीय स्तरीय समिति को अदालतों के समान कोई निहित शक्तियों हैं?
3. क्या एक स्थानीय स्तरीय समिति एक अभिभावक की नियुक्ति के बाद उनकी शक्तियों में तबदीली कर सकते हैं?
4. क्या स्थानीय स्तरीय समिति प्रस्तावित अभिभावक से "सुरक्षा" के लिए पूछ सकती है यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह अपनेदायित्वों को पूरा करते हैं?
6. क्या एक स्थानीय स्तरीय समिति पहले बिना किसी भी औपचारिक आवेदन के एक अभिभावक की नियुक्त कर सकती है?
7. स्थानीय स्तरीय समिति को अभिभावक के लिए आवेदन पत्र देने से नियंत्रित करने के लिए कौन से मुकदमा दायर किए जा सकते है?
8. चूंकि स्थानीय स्तरीय समिति को न्यायालय का कोई अधिकार नहीं है, तो क्या इसका तृतीय पक्षों पर कोई अधिकार होगा? क्या यह अदालतों के समान अन्य व्यक्तियों को बुला सकते हैं या सबूत को स्वीकार कर सकते हैं?
9. स्थानीय स्तरीय समिति सूचना पत्र पर सम्मन की तरह कानूनी कारवाई कैसे करते हैं?
10. क्या एक स्थानीय स्तर समिति विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति को उनके समक्ष प्रस्तुत होने के लिए कह सकती है?
11. क्या एक स्थानीय स्तरीय समिति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की संपत्ति के लिए एक अभिभावक नियुक्त कर सकती है?
12. जब विकलांगता से ग्रसित एक व्यक्ति की संपत्ति के बारे में विवाद है और अन्य दावेदार हैं, स्थानीय स्तरीय समिति क्या कर सकती है?

जारीकर्ता

Ganpati Educational Society

(Society Dedicated to Rural Rehabilitation)

Registered Office : Near Telephone Exchange Kunihar Teh. Arki, Distt. Solan (H.P)-173207
Ph.:01796-262540, M. 94180-79043, Website: http/www.ganpatieducationalsociety.org
E-mail: ganpatieducational@gmail.com, sharma.roshan@yahoo.co.in